न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह चौहान R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 274/2022

1. मद्री पुत्र पाबूदान
2. मेघाराम पुत्र भोलूराम

समस्त जाति रेबारी नि0 वस्सीनागा तह0 जोबनेर जि0 जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. कजोडमल पुत्र मोती
2. लक्ष्मण पुत्र मोती
3. कालूराम पुत्र मोती
4. मोहनलाल पुत्र मोती
5. गलकूदेवी पत्नि स्व0 अर्जुनलाल
6. परताराम पुत्र भोलूराम
7. उमादेवी पुत्री मोती

समस्त जाति रेबारी नि0 वस्सीनागा तह0 जोबनेर जि0 जयपुर।

8. प्रेमदेवी पत्नि गोपाल जाति अहीर
9. रतनलाल पुत्र मेघाराम
10. रामस्वरूप पुत्र मेघाराम
11. मूलदेवी पत्नि मेघाराम

समस्त जाति रेबारी नि0 वस्सीनागा तह0 जोबनेर जि0 जयपुर।

12. हनुमान पुत्र काना जाति जाट नि0 वस्सीनागा तह0 जोबनेर जि0 जयपुर।
13. मधु पत्नि राजकुमार जाट नि0 वी–8 पुराना विधाधर नगर जयपुर।
14. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0
15. भारतीय स्टेट बैंक शाखा जोबनेर जरिये प्रवन्धक
16. बैंक ऑफ बडौदा शाखा बोबास जरिये प्रबंधक
17. आन्ध्रा बैंक शाखा कालवाड जरिये प्रबंधक

प्रतिवादीगण

उपस्थितः– 1. श्री प्रेमचन्द भहडा, विद्वान अधिवक्ता वादीगण

2. श्री लोकेश शर्मा, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं01

3. श्री सुरेश कुमार शर्मा, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 13

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

वाद बाबत् विभाजन आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः— 11.06.2025

वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाकै ग्राम बस्सीनागा प0ह0 बस्सीनागा तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0 मे स्थित खाता सं0 6 की आराजी ख0न0 141 रकबा 3 बीघा 15 विस्वा, ख0न0 142 रकबा 11 बीघा 4 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 19 विस्वा मे वादी सं01का 1/6 हिस्सा, वादी स02 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं03 लगा05 का संयुक्त रूप से 3/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं06 का 1/6 हिस्सा है तथा इसी प्रकार खाता सं0 7 की आराजी ख0न0 143/1 रकवा 16 बीघा 10 विस्वा, मे वादी सं01 का 1/24 हिस्सा, वादी सं02 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी सं01 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं02 का 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3,5 व 7 का संयुक्त रूप से 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 6 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 8 का 82/328 हिस्सा, प्रतिवादी सं09 व 10 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं011 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 12 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 13 का 1/8 हिस्सा है। वादीगण व प्रतिवादी सं01 लगा0 13 ने अपने बुजुर्गान के समय से ही करीब 40—50 वर्षो पूर्व से मनबट के आधार पर बंटवारा करते हुये बंटवारे मे आयी हुई आराजीयात मे काबिज काश्त होकर अपने रहवासी मकानात बनाकर रह रहे है तथा कृषि के उपयोग मे भूमि लेते आ रहे है। मनबट बंटवारे के अनुसार वादी से01 व प्रतिवादी सं0 6 आराजी ख0न0 141 व 142 मे अपने स्वयं के नाम से दर्ज 1/6, 1/6 हिस्से की भूमि मे व वादी सं02 की उपरोक्त आराजीया तमे 1/6 हिस्से की भूमि मे से 22 विस्वा भूमि छोडते हुये शेष भूमि पर वादी सं01 व प्रतिवादी सं06 काबिज काश्त है अर्थात् उपरोक्त ख0न0 की कुल भूमि मे से वादी सं02 255/1196 हिस्से पर व इसी प्रकार प्रतिवादी सं06 भी उपरोक्त आराजीयात 255/1196 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है एवं वादी सं02 उपरोक्त आराजीयात सम्पूर्ण आराजीयात के 22/299 वां हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहे है तथा शेष पक्षकारान भी अपने अपने हिस्से पर मनबट के अनुसार काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा आराजी ख0न0 143/1 रकबा 16 बीघा 10 विस्वा मे वादी सं02 अपने स्वयं के 1/24 हिस्से की भूमि पर एवं वादी सं01 व प्रतिवादी सं06 के 1/23, 1/24 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि पर अर्थात वादी उपरोक्त ख0न0 143/1 रकबा 16 बीघा 10 विस्वा मे 1/8 हिस्से की भूमि पर मनबट अनुसार काबिज काश्त है तथा उपयोग उपभोग करता आ रहा है एवं रहवास के लिए मकानात बना रखे है उपरोत वर्णित आराजीयात राजस्व रिकोर्ड

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

मे अविभाजित है उक्त आराजीयात का विधिक रूप से विभाजन करवाने के लिए वादीगण ने प्रतिवादी सं01 लगा0 13 को कई बार मनबट के अनुसार करवाये जाने एवं मौके के कब्जे अनुसार विधिक रूप से विभाजन करवाने को कहा तो प्रतिवादी सं01 लगा0 13 हमेशा बहानेबाजी व टालमटोल करते आये है जिसके कारण उपरोक्त आराजीयात का विभाजन विधिक रूप से नही हो पाया है। जिसके कारण वादीगण अपने हक व हिस्से की भूमि को उन्नत व विकसित करने व सीवमेंड इत्यादि कायम करने मे भारी समस्याओ का सामना करना पड रहा है। उक्त भूमि राजस्व रिकोर्ड मे विधिक रूप से विभाजन नही होने से प्रतिवादीगण इसका नाजायज फायदा उठाना चाहते है तथा मनचाही जगह भूमि पर कब्जा करना चाहते है ओर मनचाही जगह कब्जा करते हुये भूमि का बेचान करने पर उतारू है इसी आशय से दिनांक 21.04.18 को प्रतिवादी सं01 लगा0 6,8,12 अजनबी व्यक्तियो को साथ लेकर आये ओर उक्त भूमि को बेचान करने का सौदा करने लगे जब वादीगण ने उनको ऐसा करने से मना किया ओर उक्त भूमि का विधिक रूप से विभाजन करवाने को कहा तो प्रतिवादी सं01 लगा0 6 व 8, 12 ने इंकार कर दिया ओर वादग्रस्त भूमि का मनचाही जगह से बेचान कर वादीगण को उनके मौके के कब्जे काश्त से बेदखल करने की धमकी दी इसलिए वादीगण को उक्त वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं01 की ओर से वकील श्री लोकेश शर्मा ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी सं08 लगा0 11 की ओर से वकील श्री कुलदीपसिंह ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं013 की ओर से वकील श्री सुरेश कुमार शर्मा ने वकालतनामा वा जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी सं05 की ओर से वकील श्री लोकेश शर्मा ने यू0टी0 दी। प्रतिवादी सं0 2,3,4,6,7,12,14,15,16 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी जाती है। वकील पक्षकारान द्वारा वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किये जोन पर वाद दिनांक 19.09.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया।

तहसीलदार जोबनेर के पत्रांक एलआर/2022/7384 दिनांक 15.12.2022 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.09.2024 को दिनांक 23.06.2023 इस प्रकार संशोधित किया गया कि प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.09.2022 में प्रतिवादी संख्या 12 हनुमान पुत्र काना जाति जाट नि0 बस्सीनागा तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0 के स्थान पर लालूराम भांमू पुत्र कानाराम जाति जाट दर्ज किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 04 मोहनलाल पुत्र मोती जाति रेबारी नि0 बस्सीनागा तह0 जोबनेर जिला जयपुर का हिस्सा खसरा नं0 143/1 में वर्तमान राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

के अनुसार दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। यह निर्णय प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.09.2022 का भाग रहेगा। तहसीलदार जोबनेर को प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.09.2022 में इस निर्णय को सम्मिलित करते हुए करेजात तैयार करने हेतु तहरीर जारी हो।

प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.09.2023 एवं 23.06.2023 की पालना में तहसीलदार जोबनेर द्वारा दिनांक 02.02.2024 को कुरेजात प्रस्तुत किये गये। बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान कुरेजात सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा वादीगण का वाद दिनांक 02.02.2024 को पेश कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद दिनांक 02.02.2024 को पेश कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद मुताबिक कुरेजात दिनांक 02.02.2024 के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है।

वाकै ग्राम बस्सी नागा

क.स	नाम खातेदार	खसरा	रकबा	किस्म
1	मधु पत्नि राजकुमार जाटव	143/1/B	0.4926	बारानी–2
	योग		0.4926	
1 2 3	रामस्वरूप पिता मेघा रतनलाल पिता मेघा मूली पत्नि मेघा	143/1/ C	0.4926	बारानी–2
	योग		0.4926	
1	लालूराम भांभू पिता कानाराम	143/1/H	0.4926	बारानी–2
	योग		0.4926	
1	प्रेमदेवी पत्नि गोपाल	143/1/G	0.9852	बारानी–2
	योग		0.9852	
1	सामलाती काश्तकार बदस्तुर	143/1/A 141/A 142/A	0.2321 0.1201 0.0651	बारानी–2 बारानी–3 बारानी–2
	योग		0.4173	

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

क्र.स	नाम खातेदार	खसरा	रकबा	किस्म
1 2 3 4 5 6	उमा देवी पिता मोती कजोड़मल पिता मोती कालूराम पिता मोती गलकु पत्नि अर्जुनलाल मोहन पिता मोतीराम लक्ष्मनराम पिता मोती	142/e 143/1/e	1.9026 0.3578	बारानी–2 बारानी–2
	योग		2.2904	
1 2	कजोड़मल पिता मोती मोहन पिता मोती	143/1/f	0.4926	बारानी–2
	योग		0.4926	
1	परताराम पिता भोलूराम	141/b 142/b	0.3817 0.3818	बारानी–3 बारानी–2
	योग		0.4926	
1	बद्री पिता पाबूदान	141/c 142/c	0.3817 0.3818	बारानी–3 बारानी–2
	योग		0.7635	
1	नेथा पिता भोलू	141/d 142/d 143/1/d	0.0649 0.1012 0.5954	बारानी–3 बारानी–2 बारानी–2
	योग		0.7635	

तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते हैं कि मुताबिक डिक्री कुरेजात राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार के द्वारा बैंक के पक्ष में रहन रखे गये हिस्से को उसके खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। बैंक का रहन खातेदारों के नाम यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री तहरीर जारी की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को टंकित कराया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर